संख्या 727-I जी: एस: 1-72/7138

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला मण्डल, हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी ।
2. रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सैशन न्यायाधीश ।

चण्डीगढ़, दिनांक 20 मार्च, 1972

विषय:- पंजाब प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करना--सिफारिश नम्बर 16--मेजर दण्ड देने के लिये अदक्षता को कारण मानना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखूं तथा आपका ध्यान पंजाब सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1952, के नियम 7(5) के नीचे लिखे नोट (1) में दिए गए निम्नलिखित उपबन्ध की ओर दिलाऊं:-

"....When reports received against an officer or a preliminary inquiry shows that he has failed to reach or maintain a reasonable standard of efficiency, he may and should be charged accordingly and a finding on such a charge may be valid ground for infliction of any authorised departmental punishment which may be considered suitable in the circumstances of the case.."

इस सम्बन्ध में यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा आमतौर पर उपयुक्त उपबन्ध का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तथा अदक्षता के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा रही है । उपरोक्त उपबन्ध के अनुसार कार्यवाही का किया जाना अति आवश्यक है और इस बात पर जितना भी बल दिया जाए वह कम है । इसलिये अनुरोध है कि जब भी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, उपरोक्त उपबन्ध को पूर्णत: प्रयोग में लाया जाए ।

2. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इन हिदायतों को ध्यान पूर्वक नोट कर लें और उन की पालना के लिये इन हिदायतों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के भी ध्यान में ला दें । कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए ।

भवदीय,
हस्ता:
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है :-

हरियाणा के सभी वित्तायुक्तों, तथा सभी प्रशासनिक सचिवों, मुख्य मन्त्री. का प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री/मन्त्रियों/उप मन्त्रियों के सचिवों/निजी सचिवों ।